भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3492
उत्तर देने की तारीख-10/08/2026

राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में अनिवार्य कला शिक्षा

3492. श्री कुलदीप इंदौरा:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के पाठ्यक्रम को लागू किए जाने के बावजूद, राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 तक अनिवार्य कला शिक्षा (दृश्य कला और संगीत) के पाठ्यक्रम का न तो प्रभावी क्रियान्वयन हुआ है और न ही कक्षा 3 से 10 के लिए एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें तथा कक्षा 9-10 के लिए 'कला कुंज' पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे शिक्षण और मूल्यांकन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या केंद्र सरकार ने इस संबंध में राजस्थान सरकार से कोई प्रतिवेदन या स्पष्टीकरण मांगा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) समग्र शिक्षा के तहत कला शिक्षा के लिए जारी की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या केंद्र सरकार का सभी सरकारी विद्यालयों में समयबद्ध तरीके से पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन, कला शिक्षा की पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता और उनका निःशुल्क वितरण सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ समन्वय करने का विचार है; और
(ङ.) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के मूलभूत सिद्धांत में सभी ज्ञान की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेलों में एक बहु-विषयक दुनिया के लिए एक एकीकृत और समग्र शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना की गई हैं।

एनईपी 2020 के पैरा 4.7 में बताया गया है कि कला-एकीकरण अंतर-पाठ्यक्रम शैक्षणिक दृष्टिकोण है जो विषयों में अवधारणाओं के अधिगम के आधार के रूप में कला और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं और रूपों का उपयोग करता है। अनुभवात्मक शिक्षा पर जोर के एक भाग के रूप में, कला -एकीकरण शिक्षा को न केवल आनंदमय कक्षाएं बनाने के लिए, बल्कि हर स्तर पर शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में भारतीय कला और संस्कृति के एकीकरण के माध्यम से भारतीय लोकाचार को आत्मसात करने के लिए भी कक्षा लेनदेन में शामिल किया जाएगा। यह कला -एकीकरण दृष्टिकोण शिक्षा और संस्कृति के बीच संबंधों को मजबूत करेगा।

एनईपी, 2020 के अनुपालन के रूप में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा (एनसीएफ़-एसई), 2023 विकसित किया है, जिसके आधार पर कक्षा 3 से 9 तक की कला शिक्षा के लिए पाठ्यपुस्तकें विकसित और प्रकाशित की गई हैं। किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अनुरोध प्राप्त होने पर, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम कार्यान्वयन और पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता की सुविधा प्रदान करता है, जिसे राज्य द्वारा सरकारी स्कूलों में वितरण के लिए खरीदा जा सकता है। शिक्षक प्रशिक्षण के रूप में शैक्षणिक सहायता और, जहां भी आवश्यक हो, एनसीईआरटी द्वारा प्रदान किए गए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के अनुकूलन में सहायता।

केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित की जाती है। तदनुसार, समग्र शिक्षा के तहत वार्षिक योजनाएं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जाती हैं और यह उनकी संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) में परिलक्षित होता है। इन योजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा योजना के कार्यक्रम और वित्तीय मानदंडों और समय-समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदित किया जाता है। वित्तीय मानदंडों, पिछली प्रगति और संसाधन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राज्य /संघ राज्य क्षेत्रों के अनुमोदित ए.डब्ल्यू.पी. एंड बी. के अनुसार विभिन्न मध्यवर्तनों के कार्यान्वयन के लिए राज्य /संघ राज्य क्षेत्रों को निधियाँ आवंटित की जाती हैं। इसके बाद, केंद्र अपनी हिस्सेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को किश्तों में जारी करता है और मध्यवर्तन -वार जारी नहीं किए जाते हैं। निधियों का व्यय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के दायरे में उनकी प्राथमिकता के अनुसार उनकी आवश्यकता के आधार पर किया जाता है।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत एक विषय है, और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य /संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। तदनुसार, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्यपुस्तकों को अपनाए या अनुकूलित करे।
